

सचिव

माननीय राज्यपाल, राजस्थान



राजभवन, जयपुर - 302 006

राजस्थान,

फोन : +91-141-2228792

फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक : एफ.28(2)आरबी / 2022 / 5330

दिनांक : 01 अक्टूबर, 2025

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय,

कुलगुरु,

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।

महोदय,

राजभवन के आदेश क्रमांक 5105-06 दिनांक 29.09.2022 के माध्यम से प्रो. रामसेवक दुबे को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया गया था।

प्रो. दुबे द्वारा अपने पद का कार्यभार दिनांक 03.10.2022 को ग्रहण किया गया। अतः इनका तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 02.10.2025 को पूर्ण होने जा रहा है।

चूंकि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के अधिनियम 1998 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) के अन्तर्गत नियमित कुलगुरु की नियुक्ति होने में समय लगने की संभावना है। साथ ही विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(9) व 11(10) के तहत कामचलाऊ व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में भी समय लगने की संभावना है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय, कुलगुरु, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलगुरु के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः मैं, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार आपको अग्रिम आदेशों अथवा राज्य सरकार से उक्त संबंध में सलाह प्राप्त होने तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलगुरु के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करती हूँ।

भवदीया,

(डॉ. कविता सिंह)

क्रमांक : एफ.28(2)आरबी / 2022 / 5331

दिनांक : 01 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. कुलगुरु, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान